राधा बाई **बनाम** नन्दलाल आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 67 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/217

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि ताफैसला वाद चक 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.595 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि की वसीयत कश्मीरी लाल के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाई गई है। जिस पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थिया का वादगत भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थिया कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थिया/वादिया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थिया विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 04/04 के मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.595 हैक्टेयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	